क-11
03/08/18

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

परिपत्र

कड़कड़डूमा न्यायालय परिसर स्थित, उत्तर–पूर्व जिले की स्थापना में नियुक्त चतुर्थ श्रेणी (अब तृतीय श्रेणी)/वर्ग के अन्तर्गत अर्दलियों, चपरासियों, डाक–चपरासियों,फराश, सफाई कर्मचारियों, प्रोसेस सर्वर व अन्य समकक्षों से संबंधित प्रशासनिक कामकाज राजभाषा हिन्दी में किए जाने की व्यवस्था, प्रशासनिक अनुभाग के अन्तर्गत की जा चुकी है। उपरोक्त पदनाम वर्ग के सभी कर्मचारीगण कार्यालय से राजभाषा हिन्दी में ही पत्राचार करें। कर्मचारियों से प्राप्त पत्रों का उत्तर, संबंधित विभाग द्वारा हिन्दी में ही दिया जाएगा । किसी प्रकार की सहायता/स्पष्टीकरण, व जानकारी के लिए, राजभाषा हिन्दी अनुभाग, उत्तर–पूर्व जिला की सहायता ली जा सकती है ।

उत्तर–पूर्व जिले में स्थापित सभी अनुभाग/विभागों में तैनात अधिकारी व कर्मचारी उपरोक्त पदनाम/वर्ग के सभी कर्मचारियों से संबंधित समस्त प्रशासनिक कामकाज व कार्यवाही, राजभाषा हिन्दी में ही निष्पादित करें।

दीपक जगोत्रा

(दीपक जगोत्रा)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संख्या 5013-5018 /हिन्दी/उत्तर–पूर्व/2018/दिल्ली दिनांक 02/7/18

परिपत्र की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषितः–

1. निजि सचिव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुख्यालय, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. निजि सचिव जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
3. समस्त माननीय न्यायिक अधिकारी, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
4. समस्त शाखा प्रभारी/अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, (इस अनुरोध के साथ कि सभी अनुभागों–विभागों में प्रेषित करें)
5. प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक), केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी, दिल्ली।
6. वेबसाइट समिति, उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली, को अनुरोध के साथ वेबसाइट पर अपलोड करे ।

अमिताभ

(अमिताभ रावत)
नोडल अधिकारी (हिन्दी)
उत्तर–पूर्व, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

अग्रसारित, सभी विभागों/अनुभागों में प्रेषित किया जाए।
हरीश कुमार
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
03/08/18